न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) श्री गंगानगर।

पीठासीन अधिकारी : सुभाष कुमार, आर0ए0एस0

ई0सी0एक्ट प्रकरण सं0 11/2026

1. राज्य सरकार जरिये विनोद कुमार, प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर, श्रीगंगानगर।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल, जाति अग्रवाल, निवासी गुरूद्वारे के पास, सादुलशहर, श्रीगंगानगर।
2. जीएनबी स्वीट्स, बस स्टैण्ड रोड, सादुलशहर।

अप्रार्थी

प्रकरण आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6 ए के तहत जब्तशुदा सामग्री 02 सिलेण्डर मय 07.0 किलोग्राम गैस सिलेण्डर को राजसात करने बाबत।

उपस्थित : प्रवर्तन अधिकारी, विभागीय प्रतिनिधि
अप्रार्थी मनीष सिंगला, स्वयं।

निर्णय दिनांकः 27.03.2026

प्रस्तुत प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि घरेलू गैस का दुरुपयोग के विरूद्ध विशेष अभियान(16 फरवरी से 27 फरवरी) श्रीमान अतिरिक्त आयुक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं आपुर्ति विभाग, जयपुर के आदेश कमांक एफ 65()खा.वि./एलपीजी/2026/राजकाज नंबर 20500951 दिनांक 12.02.2026 व जिला कलक्टर महोदया के आदेश दिनांक 16.02.2026 की पालना में श्रीगंगानगर शहरी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों की जांच के दौरान मन विनोद अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 18.02.2026 को बस स्टेण्ड रोड पर स्थित जीएनबी स्वीट्स पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल, जाति अग्रवाल, निवासी गुरूद्वारे के पास, सादुलशहर, श्रीगंगानगर उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। मौके पर श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान की जांच में पाया कि प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग मिठाई आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त प्रतिष्ठान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाए गए 02 गैस सिलेंडर इण्डेन कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल की उक्त दुकान में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.0 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी धींगतानिया, सादुलशहर, सादुलशहर गैस**

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

सर्विस, जिला श्रीगंगानगर को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल** द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.0 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश फरमावें।

परिवाद प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिए नोटिस तलब किया गया।

अप्रार्थी स्वयं उपस्थित। अप्रार्थी ने अपने जवाब के कथनों को ही बहस में दोहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी एक छोटा व्यापारी है और सादुलशहर में 'जीएनबी स्वीट्स' के नाम से अपनी आजीविका चलाता है। दिनांक 18.02.2026 को हुए निरीक्षण के दौरान प्रार्थी की दुकान पर 02 घरेलू गैस सिलेंडर पाए गए थे, जिन्हें विभाग द्वारा जब्त कर लिया गया है। प्रार्थी को नियमों की पूर्ण जानकारी के अभाव में यह त्रुटि हुई है। प्रार्थी का पूर्व में कोई भी आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और न ही कभी इस प्रकार के नियमों का उल्लंघन किया गया है। प्रार्थी अपनी भूल स्वीकार करता है और माननीय न्यायालय को विश्वास दिलाता है कि भविष्य में कभी भी व्यावसायिक कार्यों के लिए घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग नहीं करेगा। प्रार्थी अब केवल कमर्शियल (व्यावसायिक) गैस कनेक्शन का ही उपयोग करने हेतु प्रतिबद्ध है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि प्रार्थी की आर्थिक स्थिति और प्रथम भूल को ध्यान में रखते हुए, जब्त किए गए सामान को राजसात (Confishcate) न किया जाए और प्रार्थी को न्यूनतम अर्थदण्ड (Fine) देकर भविष्य के लिए चेतावनी देकर दोषमुक्त करने की कृपा करें।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

राजकीय पैरोकार ने अपने बहस में व्यक्त किया है कि जांच के दौरान मन विनोद अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 18.02.2026 को बस स्टेण्ड रोड पर स्थित जीएनबी स्वीट्स पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल, जाति अग्रवाल, निवासी गुरूद्वारे के पास, सादुलशहर, श्रीगंगानगर उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। मौके पर श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान की जांच में पाया कि प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग मिठाई आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त प्रतिष्ठान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाए गए 02 गैस सिलेंडर इण्डेन कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

Scanned with OKEN Scanner

उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल की उक्त दुकान में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.0 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी धींगतानिया, सादुलशहर, सादुलशहर गैस सर्विस, जिला श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल** द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.0 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश किया जाए।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया।

अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि जांच के दौरान मन विनोद अग्रवाल प्रवर्तन अधिकारी, सादुलशहर मय प्रवर्तन स्टाफ दिनांक 18.02.2026 को बस स्टेण्ड रोड पर स्थित जीएनबी स्वीट्स पर जांच हेतु पहुंचे। वक्त जांच मौके पर श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल, जाति अग्रवाल, निवासी गुरूद्वारे के पास, सादुलशहर, श्रीगंगानगर उपस्थित मिले, जिन्होंने स्वयं को उक्त दुकान का मालिक बताया। मौके पर श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल की उपस्थिति में उक्त दुकान की जांच की गई। वक्त जांच दुकान की जांच में पाया कि प्रतिष्ठान पर घरेलू गैस सिलेण्डर का उपयोग मिठाई आदि बनाने में किया जाता है। मौके पर उक्त प्रतिष्ठान पर 02 एलपीजी गैस सिलेण्डर पाये गये। मौके पर पाए गए 02 गैस सिलेंडर इण्डेन कंपनी के हैं। मौके पर पाये गये 02 घरेलू एलपीजी गैस सिलेण्डर बतौर वजह सबूत जब्त किये गये। मौके पर उक्त घरेलू गैस सिलेण्डर के भण्डारण/उपयोग संबंधित कोई भी वैध दस्तावेज **श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल** द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया। श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल की उक्त दुकान में पाये गए 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.0 किलोग्राम गैस को जरिए फर्द जब्ती जप्त किये गये एवं **श्री रणवीर सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह, जाति राजपूत, निवासी धींगतानिया, सादुलशहर, सादुलशहर गैस सर्विस, जिला श्रीगंगानगर** को सुपुर्द किया। जांच के दौरान फर्द निरीक्षण मौका जब्ती एवं फर्द सुपुर्दगीनामा अलग से तैयार किया गया। **श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल** द्वारा 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.0 किलोग्राम गैस का दुरूपयोग किया जा रहा था। **श्री मनीष सिंगला पुत्र श्री ग्यारसीलाल** द्वारा एलपीजी गैस सिलेंडर का दुरूपयोग किया जाकर LPG (REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION) ORDER 2000 के क्लॉज 3(1) (ख) (ग). 4(1) (ग) (2) व 7 (1) (ग) का स्पष्ट उल्लंघन्न किया है। अतः आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की

अति० जिला कलेक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner

धारा 6ए के तहत मौके से जब्त 02 घरेलू गैस सिलेंडर मय 7.0 किलोग्राम गैस को राजसात करने का आदेश दिया जाता है। आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर को पालनार्थ भेजी जावे।

निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुभाष कुमार)
अति० जिला मजिस्ट्रेट
(प्रशासन), श्रीगंगानगर

अति० जिला कलक्टर (प्रशा०)
श्रीगंगानगर

सम्बन्धित अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्रीगंगानगर (राज.)

Scanned with OKEN Scanner